03.03.2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09-R.09 CPC पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में अपील उनवानी बनवारीलाल उचित मूल्य दुकानदार बैलारा ग्रा.पं. खेड़ीदेवीसिंह तह. नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी जिसमें तारीख पेशी 04.07.2019 को न्यायालय में हाजिर हुआ किन्तु प्रार्थी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने से वह अपने अधिवक्ता को बिना बताए ही घर चला गया। दिनांक 06.11.2019 को न्यायालय में आने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अपील 04.07.2019 को ही अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी काफी गम्भीरता से करता आ रहा है। अगर अपील को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो अपील करने का मकसद समाप्त हो जावेगा और अपीलान्ट को काफी क्षति होगी तथा वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार आवाज लगवाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण दिनांक 04.07.2019 को विचाराधीन अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो उसके प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करता हो। अपील दिनांक 04.07.2019 को खारिज हुई है जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने अपील खारिज किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

जिला [illegible]
भरतपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:45:36 IST
Reason: SelfAttested